

# राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)–2022

## माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिये जाने तथा श्रुतलेखक के संबंध में आवश्यक निर्देशः—

### 1. 50 मिनट अतिरिक्त समय दिये जाने हेतु दिव्यांगता श्रेणियां :-

दिव्यांगता का प्रकार	निर्धारित आवश्यक अक्षमता	रोग प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी (मान्यता प्राप्त राजकीय चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो या चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज द्वारा अधिकृत बोर्ड)	प्रति हस्ताक्षर के लिये सक्षम अधिकारी
1. सूर्यमुखी / मायोपिया अथवा अन्य कोई बीमारी जिससे आँख की रोशनी बाधित हो।	40 प्रतिशत दृष्टि दिव्यांगता एवं इससे अधिक दिव्यांगता	नेत्र चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
2. सेरीब्रल पाल्सी	40 प्रतिशत दिव्यांगता एवं इससे अधिक	मनो चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
3. पोलियो / लकवा / जन्मजात दिव्यांगता	40 प्रतिशत दिव्यांगता एवं इससे अधिक	अस्थिरोग चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
4. मूक बधिर	40 प्रतिशत दिव्यांगता एवं इससे अधिक	नाक, कान, गला, चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
5. थैलीसीमिया / हीमोफिलिया	40 प्रतिशत दिव्यांगता एवं इससे अधिक	निःशक्ततानुसार सक्षम मेडिकल अधिकारी	राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंशा पर
6. RPWD Act 2016 के अन्तर्गत स्थाई निःशक्तता	RPWD Act 2016 के अनुसार अनुमति	निःशक्ततानुसार सक्षम मेडिकल अधिकारी	राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंशा पर

### 2. श्रेणियां जिन्हें श्रुतलेखक एवं 50 मिनट अतिरिक्त समय देय होगा :—

दिव्यांगता का प्रकार	निर्धारित आवश्यक अक्षमता	रोग प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी (मान्यता प्राप्त राजकीय चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो या चिकित्सालय/मेडिकल कॉलेज द्वारा अधिकृत बोर्ड)	प्रति हस्ताक्षर के लिये सक्षम अधिकारी
1. दृष्टिबधित	75 प्रतिशत एवं इससे अधिक दृष्टि दिव्यांगता	नेत्र चिकित्सक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
2. सेरीब्रल पाल्सी	75 प्रतिशत एवं इससे अधिक शारीरिक अक्षमता	बोर्ड निसमें एक मनोचिकित्सक व अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
3. पोलियो / लकवा / जन्मजात दिव्यांगता	लिखने में अक्षमता के क्रम में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित किये/अनुमति के अनुसार	अस्थिरोग चिकित्सक जो कनिष्ठ विशेषज्ञ से कम स्तर का नहीं हो।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / पी.एम.ओ. / मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक
4. विमंदित (अधिगम अक्षमता) M.R.	अधिगम अक्षमता के क्रम में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित किये/अनुमति के अनुसार	मनोचिकित्सक	राजकीय मेडिकल कॉलेज स्तरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंशा पर

### नोट :—

01. किसी भी प्रकार की दिव्यांगता का प्रमाण—पत्र आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का जारी होना चाहिये।
02. प्रमाण—पत्र मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पी.एम.ओ. मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। श्रुतलेखक के लिए प्रमाण पत्र पर स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि परीक्षार्थी स्वयं लिखने में असमर्थ है।
03. विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा के अनुसार अतिरिक्त समय दिया जाता है, तदनुसार इस परीक्षा में 50 मिनट का अतिरिक्त समय देय है।
04. विशेष योग्य जन प्रमाण—पत्र पर परीक्षार्थी का फोटो होना आवश्यक है।

05. ऐसे परीक्षार्थी द्वारा राज्य / केन्द्र सरकार के राजकीय चिकित्सालय के अधिकारी / सिविल सर्जन के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर श्रुतलेखक प्रदान किया जावेगा।
06. उपरोक्त स्थायी रूप से विकलांग परीक्षार्थी, जिनक पास मेडिकल बोर्ड का स्थायी दिव्यांगता प्रमाण—पत्र जिनसे शर्त पूर्ण होती हों, को सक्षम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने से छूट प्रदान की जाती है।
07. पौलियो/लकवा/जन्मजात दिव्यांगता तथा आक्रिमिक दुर्घटना की स्थिति में प्रमाण पत्र पर यह उल्लेखित होना आवश्यक है कि इस बीमारी के कारण परीक्षार्थी स्वयं लिखने में असमर्थ है।
08. विमंदित (अधिगम अक्षमता) परीक्षार्थियों को Mild, Moderate Severe तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज स्टरीय चिकित्सालय में गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा आधार पर श्रुतलेखक के लिए स्पष्ट अनुशंसा होना चांछनीय है। परीक्षार्थी को मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर परीक्षा में 50 मिनट अतिरिक्त / श्रुतलेखक दिया जायेगा।
09. अस्थि दिव्यांग विद्यार्थी जो hand amputation and spinal cord संबंधी विकारों के कारण लिखने अथवा बैठने में असमर्थ होतो उन्हे मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर आवश्यकतानुसार श्रुत लेखक की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है।
10. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता अभ्यर्थी की REET पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता से कम होनी आवश्यक है, जो लेवलवार निम्नानुसार रहेगी:-
 

लेवल-1 :— न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उच्चतर माध्यमिक से कम अर्थात् माध्यमिक से अधिक नहीं।

लेवल-2 :— न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक से कम अर्थात् उच्चतर माध्यमिक से अधिक नहीं।
11. श्रुतलेखक किसी भी आयु का हो सकता है।
12. स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थियों को एक वचनपत्र (Undertaking) - प्रपत्र—अ केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा लाया गया श्रुतलेखक (Scribe) रीट कार्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप ही है।
13. श्रुतलेखक के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर रीट कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।
14. श्रुतलेखक की पहचान पत्र, आधार कार्ड या फोटोयुक्त पहचान पत्र सत्यापित करवाये एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि सहित केन्द्राधीक्षक को जमा करायें। केन्द्राधीक्षक उसका परीक्षण करेगा तथा तदअनुसार अनुमति प्रदान करेगा।
15. श्रुतलेखक की सहायता से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की सूचना प्राप्त होने पर अथवा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को दृष्टिहीन/सेलीब्रल पॉलिसी/पॉलियो/लकवा/ जन्मजात दिव्यांगता, विमंदिता के कारण असमर्थता/शारीरिक रूप से निःशक्त ऐसे परीक्षार्थी जो स्वयं अपने हाथ से लेखन कार्य करने में असमर्थ हैं, के द्वारा परीक्षा आरम्भ होने से कम से कम दो दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण—पत्र सहित उपस्थित होकर श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना किये जाने पर केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाए। दिव्यांग परीक्षार्थी की प्रार्थना पर परीक्षा केन्द्र स्तर पर श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं दो केन्द्राधीक्षकों की सदस्यता में चार सदस्य समिति का गठन किया जावे। समिति द्वारा श्रुतलेखक प्रदान किये जाने हेतु पैनल तैयार किया जाए।
16. केन्द्राधीक्षक परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराए गए प्रत्येक श्रुतलेखक का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप अ में योग्यता एवं चिकित्सा संबंधी प्रलेखों की प्रति संलग्न करते हुए बोर्ड कार्यालय को प्रेषित की जाए।(निर्धारित प्रारूप—स में)
17. परीक्षार्थी द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था स्वयं के स्तर से भी की जा सकती है। जिसकी पात्रता की जांच के लिए दो दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्रों सहित केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18. ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुतलेखक (Scribe) नहीं लाते हैं, उन्हें परीक्षा से दो दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण—पत्रों सहित उपस्थित होकर श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक (Scribe) की समिति द्वारा निर्धारित पैनल में से व्यवस्था की जावेगी।
19. श्रुतलेखक को उसके कार्य के लिए मानदेय (बोर्ड परीक्षा की दरों के अनुसार) रीट कार्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। केन्द्राधीक्षक यह व्यय फृटकर व्यय में से करेंगे एवं इसे केन्द्र के बिल में "द" गाया जायेगा।
20. ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने श्रुतलेखक की सुविधा हेतु रीट कार्यालय को अथवा केन्द्राधीक्षक को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से पूर्व सूचना नहीं दी है एवं अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए हैं, को यह सुविधा देय नहीं होगी।
21. केन्द्राधीक्षक द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों के लिए पृथक वीक्षक के वीक्षण में अलग करने में बैठाने की व्यवस्था स्थल मंजिल (Ground Floor) पर की जाए। वीक्षक को यह भी देखते रहना चाहिए कि श्रुतलेखक OMR Sheet में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में A,B,C व D में से उसी विकल्प के गोले को काला करता है जो कि परीक्षार्थी बोलता है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उसका आचरण किसी भी रूप में संदेहास्पद नहीं हो। श्रुतलेखक द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित कार्यवाही करते हुए पकड़े जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा (यदि श्रुतलेखक परीक्षार्थी द्वारा लाया गया है), तथा उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है, यह अभ्यर्थी को स्पष्ट कर दिया जाए।

प्रमाण—पत्र का प्रारूप परिशिष्ट—ब पर मुद्रित है। उक्त प्रारूप में सक्षम अधिकारी से प्रमाण—पत्र प्राप्त करने पर ही उपरोक्त सुविधा दी जा सकेगी। अतः कृपया सभी संबंधित परीक्षार्थियों को उपरोक्तानुसार सूचना देने का कष्ट करें ताकि समय पर प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सकें। चिकित्सालय की मात्र इलाज की पर्ची अथवा रुग्णता प्रमाण—पत्र के आधार पर श्रुतलेखक नहीं दिया जाए।

उपरोक्तानुसार न्यूनतम दिव्यांगता का प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किये बिना इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा। समस्त केन्द्राधीक्षक कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराएं।

# राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET)—2022

## माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

वचन—पत्र

परीक्षा केन्द्र का नाम :—.....

रीट परीक्षा लेवल :— L-1 / L-2

श्रुतलेखक की फोटो

उपरोक्त उल्लेखित परीक्षा हेतु मेरे द्वारा ..... अभ्यर्थी को श्रुतलेखक के रूप में सेवाएँ नियमानुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप दी गयी है। श्रुतलेखक के रूप में मेरी पूर्ण सूचना निम्नानुसार है :—

नाम :— .....

पिता का नाम :— .....

जन्म दिनांक :— .....

अर्जित शैक्षणिक योग्यता :— .....

निवास का पूर्ण पता :— .....

मोबाइल नम्बर :— .....

फोटो पहचान पत्र विवरण :— .....

हस्ताक्षर श्रुतलेखक

दिनांक :—

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक ..... को आयोजित रीट परीक्षा—2022 L-1 / L-2 हेतु उपरोक्त श्रुतलेखक द्वारा अभ्यर्थी ..... रोल नं. ..... को श्रुतलेखक के रूप में सेवाएँ प्रदान की गयी है। श्रुतलेखक की फोटो पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी इस वचन पत्र के साथ संलग्न कर दी गई है।

दिनांक :— .....

हस्ताक्षर केन्द्राधीक्षक

केन्द्राधीक्षक का नाम :—

मोबाइल नं. :—

केन्द्राधीक्षक मोहर

शुलेखक सुविधा के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT**

**MEDICAL BOARD'S CERTIFICATE ON PERMANENT DISABILITY**

(Specified in Section 2 (b) (e)(l)(n)(o)(q)(r)(t) and (u) of the persons with disabilities Act. 1995, CH. II of the persons with disabilities Rules 1996, Notification of the Govt. of India In the Ministry of Welfare No-4-2/83-HW III date 6th August, 1986 and circular No. P-16/5/MH/2/98 dated 30/6/2000 Medical & Department Government of Rajasthan.

Certificate No. .... / Date .....

Name of Hospital

**DEPARTMENT OF OCTORUINO LARYNGOLOGY**

.....  
.....

**Candidates  
Coloured  
Photograph**

This is to certify that Shri/Smt./Km. ..... whose particulars are furnished below. is bonafide "Person with Disability" ORTHOPADICALLY/VISUALLY/HEARING IMPAIRMENT/MENTALLY/LEPROSY CURED PERSON/**THELASSEMIA**

**PARTICULARS OF THE DISABLED PERSON**

FATHER'S/ HUSBAND'S NAME .....

GENDER ..... AGE .....

ADDRESS .....

.....

.....

.....

(I) HE/SHE HAS 40% DISABILITY IN DOMINANT HAND

or

(II) HE/SHE IS UNABLE TO WRITE HIMSELF

(In case of Polio/Paralysis/by birth disability and accident)

(✓ and Signature as applicable)

Signature  
Thumb Impression  
of the Disabled Person

Place :  
Date

Issued by : Signature  
Name :  
Seal

Counter signed by :  
Signature  
Name  
Seal

- Note :- 1. Aforesaid Person with disability is eligible to apply for facilities concessions and benefit admissible under Schemes of the Govt./Non. Govt. organization subject to such condition as the Central or the State Government may issue.  
 2. In case of Polio/Paralysis/by Birth disability and accident, please mention clearly that He/She has 40% disability in dominant hand or unable to write himself.

# राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा—2022

## माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

केन्द्र का नाम एवं केन्द्र क्रमांक .....

परीक्षा लेवल I/II

दिनांक..... पारी

रीट-2022 परीक्षा के दौरान श्रुतलेखक की सूचना (परीक्षार्थी द्वारा लाये गये / केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रदत्त

क्र. सं.	रोल नं.	नाम परीक्षार्थी	दिव्यांगता का प्रकार	सक्षम मेडिकल अधिकारी की अनुशंसा Yes/No	नाम श्रुतलेखक	पिता का नाम	जन्म दिनांक	योग्यता	निवास का पूर्ण पता मय मोबाइल नं.	हस्ताक्षर श्रुतलेखक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											